

केन्द्रीय सूचना आयोग  
बाबा गंगनाथ मार्ग,  
मुनिरका, नई दिल्ली - 110067.

संचिका सं. CICOM/R/2019/00667

23  
दिनांक 17-09-2019

सेवा में,  
श्री नवाब बेग,

विषय:- सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत सूचना ।

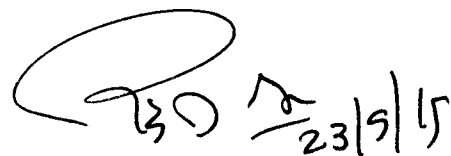
महोदय,

उपर्युक्त विषयक डी.ओ.पी.टी. को प्रेषित आपका दिनांक 08.08.2019 का आर.टी.आई. आवेदन जिसे डी.ओ.पी.टी. द्वारा दिनांक 19.08.2019 को केन्द्रीय सूचना आयोग को अग्रसारित किया गया जो कि दिनांक 05.09.2019 को केन्द्रीय सूचना आयोग के आर.टी.आई. प्रकोष्ठ में प्राप्त हुआ से संबंधित सूचना निम्नानुसार है :-

आपके आर.टी.आई. आवेदन के साथ संलग्न दिनांक 10 जून, 2009 का आदेश सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19 (3) के तहत दाखिल द्वितीय अपील के संदर्भ में जारी किया गया आदेश है तथा दिनांक 9 दिसम्बर, 2009 का पत्र सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19 (1) के तहत दाखिल प्रथम अपील के संदर्भ में प्रथम अपीलीय अधिकारी के आदेश के अनुपालन में प्रदान की गई सूचना है ।

सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 आयोग की वेबसाईट के लिंक <https://cic.gov.in/sites/default/files/rti-actinhindi.pdf> सहित इंटरनेट में आसानी से उपलब्ध है ।

यदि आप उपरोक्त सूचना से संतुष्ट नहीं हैं तो इस सूचना की प्राप्ति के 30 दिनों के अंदर प्रथम अपील श्री पीयूष अग्रवाल, पंजीयक एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी, केन्द्रीय सूचना आयोग, बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली - 110067 दूरभाष नं. 011-26105021 पर की जा सकती है ।



(टी. बी. जे. एस. राजप्पा)  
केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी,  
आर.टी.आई.सेल  
दूरभाष - 011-26172690